

**कार्यालय,
अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या - प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3637

तारखतका दिनांक: 08/08/2021

आर्थात्पत्र जातः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यासिद्ध और इच्छित। यह दिल्ली प्रांश सीईक संक 2021-22 हेतु दिल्ली प्रांश तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संक 2021-22 से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक कायम हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थानों को सम्बद्धता पूर्व से सम्बद्धता प्रेषण की सम्बद्धता दिनांक सम्बद्धता प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य भन्ने पर विचार करती हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता पूर्व उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का शीट एवं नाम : 27/10/KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES, FAREEDPUR, SULTANPUR			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एनआईसीटीई/पीसीआईए द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एनआईसीटीई/पीसीआईए द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनवाली 1982, सेक्टर 2, निम्नलिखित-2010 तथा अन्य विहित विधियों एवं अधिनियमों का अनुपालन करेगी। तथा मुक्त विधायक समिति द्वारा निर्धारित मुक्त की जायें। एवं पाठ्यक्रमों हेतु लागू 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालय खर्चक्रम हेतु लागू- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु लागू 23500.00/- प्रतिवर्ष मुक्त की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उत्तराखण्ड के अधिनियम उत्तराखण्डों से मुक्त के सम्बन्ध में समान-समय पर सामान द्वारा निर्मित किये जाने वाले सामान्य प्रवृत्तियों एवं और उपरान्त कार्यालयी शिक्षा अन्य अनुपालन होगा। प्रेषण निम्नलिखित समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, तो फीस की नवीनताम दरे लागू होगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं की सम्बद्धता (विनियमनवाली-2000) की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के सिद्ध हुए शर्तों की धिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समान-समय पर निहित या सत्यापन के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता मुक्त प्रेषण करना होगा।
- ✓ संस्था को एनआईसीटीई/पीसीआईए में भर्षाओं का हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनुपालन होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किये गये विधिनियमों, अधिनियमों, वास्तविकताओं/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये विधियों, विनियमों, अधिनियमों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यालयी पाठ्यक्रम की सम्बद्धता यदि पी.पी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस शर्त में सम्बद्धता उत्तराखण्ड संस्था का शीट और निम्नलिखित रूप में किसी भी कार्यालयी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा प्रदेश


 प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश
 लखनऊ, दिनांक 08/08/2021

संस्था को कोई कदम उठाना होगा (उदा. राज्य सरकार के संबंध में)। न्यायपालिका द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अंतरिम निर्देश दिए जाने से ही संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को ऊपरनी होगी।

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था को उल्लेख सुनना, जैसे संस्था को प्रतिस्थापित हुई भूमि, स्वामि, साज-सज्जा, उपकरण, प्रदान किए जाने वाले सुविधा, संसाधन सुविधा आदि को विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-उद्देश्य हेतु उपलब्धता का कारण उपलब्ध कराने के साथ यथोचित रीति में संस्था में समस्त आवश्यकताएं जवाबदा देनी होंगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संशोधित व्यक्तियों को संस्था को हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध करने से अतिरिक्त भूमि-भाग, अतिरिक्त, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्तियों के संपादन में प्रयोग किया जाता है और विशेष की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था को संबंधित समाप्त किये जाने की अनुरोध को जारीगी।
- ✓ संस्था के समस्त निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, साजसज्जा एवं अन्य साज-सज्जा 50 लाख (पचास लाख) से अधिक की लागत के अनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को संबंधित समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ साजसज्जा वस्तु का अनुपातनाम किये जाने अथवा वस्तु का उत्पन्न किये जाने की तिथि में निरामातुसार अनुपातनामका जांचवादी को जारीगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पता- शशिवापरिषद् सम्बद्धता 2012/3538-4809

दिनांक- 09/08/2024

प्रतिष्ठान-

प्रधानाचार्य/निदेशक, KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES, FAREEDPUR, SULTANPUR.

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक- 09/08/2024

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/03/2022

कार्यालय स्थापना

अद्विष्ट भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेली कानसिलर ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सं. 3022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/03/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2022-23 हेतु अद्विष्ट नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से असाक्षित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार करते हुए सं. 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सं. 2022-23 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं-उत्क्रम-अद्विष्ट प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 2710-KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES			
क्र/सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई० पी०सी०आई० द्वारा	परिषद द्वारा सं. 2022-23
		सं. 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु	अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
	ELECTRONICS &		
2	COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, संशुद्ध विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निहित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के संग्रह में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और अनुसूचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीश निर्धारण समिति द्वारा पदि सं. 2022-23 हेतु शीश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो शीश की स्थितिगत तरे तय होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निहित शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधिसिध्दी अधिनियम/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये विधिसिध्दी।

विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई दावा दायर किया जाता है तथा दावर याद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अग्रशान नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सार्वजनिक सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक सूचि भूमि, स्टाफ, छात्र-छात्रा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त छात्रवृत्ति मुक्त आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगि. रोमने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित सहायित पाठ्यालय को बसाये जाने हेतु निरीक्षण समिति को सम्यक् उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समप्त किये जाने की कार्यवाही को करेगी।
- ✓ संस्था के औसत वार्षिक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार्वजनिक ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने आदि शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निधनानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Khan

(एम०आर० खान)

सचिव

सू०सं०- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिष्ठित-

प्रधानाचार्य/निदेशक KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES

Khan

(एम०आर० खान)

सचिव

(Handwritten Signature)

And OFFICE OF THE DIRECTOR
KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES
AGRA

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश तखनऊ।**

संख्या:- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

तखनऊ: दिनांक: 12-08-2023

:-कार्यालय शाय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंजिन्य, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंजिन्य, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित (स्वेच) क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2710-KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईटीसी/टीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित उद्योग क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	00	00
2	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 211/16-3020/9-2022 दिनांक 10 मई 2021 द्वारा हुई है संस्था संस्थानों की ओर से वि० प्र० तखनऊ में प्रेषित रिट. पत्रिका संख्या 5027/2023 में मानवीय न्यायालय के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ एरवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंजिन्य, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंजिन्य, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में संस्था संचालन (भूमि, भवन, सेवा उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, संशोधन विनियमवली-2019 तथा समान-समय पर निर्गत बाह्यदेशीय का अनुपालन करेगी तथा प्रत्येक निर्धारित प्रतिष्ठिति द्वारा निर्धारित शुल्क को अत्यधिक उत्तमवर्ग से प्राप्त किया जायेगा। उपयोग के अधीनस्था छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त प्रश्नों पर सफलतापूर्वक निराहति किये जाने वाले वास्तविक प्रश्नों होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। वीस निदेशिका समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीस को तत्कालतः धरे जायेंगे।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समान-समय पर निर्गत बाह्यदेशीय के अनुसार नियोजन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।




 12/08/2023
 20230801

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित विधिविषयों/अधिविषयों/शाखनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कामकारी हो।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्नेगी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त कर्मचारियों संस्था का लोगो और विभिन्न रूप से लिखी भी कार्यवाही के लिए संबंध रूप उत्तरदायी होंगे। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निरस्त यदि कोई कार्य उत्तर शिक्षा विभाग है तथा वापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार को प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काठमान्डौ प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्नेगी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समस्त जरूरी तर्जिमत सर्वप्रथम सांकेतिक नियमों का अनुमोदन करना आवश्यक होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के मुख्यालय पोर्टल पर संस्था का सफल सूचनाओं जैसे सफलता प्रविष्टि सूची, स्वयं-समा, उत्कृष्टता, प्राप्त किया जाने वाला सूचना, समाचार सूचना आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु अनुसूचित कक्षा/कक्षा उपलब्ध कराते के साथ सैलिंग सेकने के सम्बंध में समस्त आवश्यक कक्षाओं सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में अस्तित्व/संचालित पाठ्यक्रम जो बतारी करने हेतु विशेष समिति के समक्ष उपलब्ध करने गयी अर्जितोद्देश, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवादन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सरबद्धता समाप्त करने को कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समिति) और उपसमितियों, संस्थाओं का संबद्ध किया जाता। विनियमावली, 2020 के प्राथमिकानुसार पाठ्यक्रम को सांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संवादन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के अथवा स्वतंत्र निर्देशक के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत्तियाँ प्राप्त/खरीदी/वर्द्धनी/वर्द्धनी/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था भी संबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ संबद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनमक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुं सं- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2023/12080002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक KAMLA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

31/09/2023
11:52 AM